संख्या-64/2016- 2074 /चौदह-4-2016-523/2013

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग- 4 लखनऊ, दिनांक, 10 सितम्बर, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष-2016-17 में जनपद मैनपुरी में समान पक्षी विहार योजनान्तर्गत अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 8930.00 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य प्रमुख वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी,उ0प्र0 के पत्र सं0-पी- 54/36-टी-77 दिनांक 14.07.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्या-60 के अन्तर्गत जनपद मैनपुरी में समान पक्षी विहार योजनान्तर्गत अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर के भुगतान हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 893000000.00 (रूपये नवासी करोड़ तीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	स्वीकृत धनराशि (रू0 हजार में)
अनुदान संख्या-60	
राजस्व लेखा	
2406-वानिकी तथा वन्य जीव- आयोजनागत	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव	
110- वन्य जीव परिरक्षण	
03-जनपद मैनपुरी में समान पक्षी विहार परियोजना	
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	57000
योग राजस्व लेखा	**57000**
पूंजी लेखा-	

http://shasanadesh.up.nic.in

4406-वानिकी तथा वन्य जी पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव	

110-वन्य जीव	
03-जनपद मैनपुरी में समान पक्षी विहार परियोजना	
24-वृहत निर्माण कार्य	836000
योग- पॅजी लेखा-	**836000**
कुल योग	**893000**

(रूपये नवासी करोड़ तीस लाख मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमानआदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए01132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 07.01.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए01191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत तथा चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नयी मदों के क्रियान्वयन के लिये नहीं किया जाय।

3- योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त जिन योजनाओं में व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, उन पर व्यय करने से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय तथा जिन योजनाओं पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त है उन पर समिति के अनुमोदित लागत एवं समय सीमा के अनुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

4- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

5- अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहे।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

7- स्वीकृत धनराशि का व्यय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के उक्त सन्दर्भित पत्र संख्या-पी-54/36-टी-77 दिनांक 14 जुलाई, 2016 उल्लिखित कार्यमदों के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा।

8- वित्त विभाग के शासनादेश सं0- संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 तथा अन्य संगत शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

9- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

संख्या- 2074 (1)/चौदह-4-2016-523/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, मैनपुरी।
4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं क़षि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
7- उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेन्चुरी प्रोजेक्ट, आगरा।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
11- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in